

18/12/17 पत्रावली पेश हुई / वादी अधि.
द्वारा हिरालाल (वादी) का
Civil death certificate पेश
नहीं किया है जिसके बिना
यह वाद आगे नहीं बढ़ाया जा

सकता। अतः जिस समय
वाही अधि. के पास
civil death का order
है उस समय वाही
अधि. अशोधित वाह पेश
कर आगे की कार्रवाई कर
सकता है। निम्नदान इस
वाह को स्वार्थिन कर, फाइल
रक न काता हो।

